



2026:AHC: 14939-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक अपील अंतर्गत धारा 413 बीएनएसएस संख्या- 33/2026

राजेश कुमार

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता : राकेश कुमार राठौर, संजीव कुमार

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-43

माननीय न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय

माननीय न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत

1- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश कुमार राठौर, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अपील के साथ संलग्न निर्णय और साक्ष्य का परिशीलन किया गया।

2- वर्तमान आपराधिक अपील सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद द्वारा मुकदमा अपराध संख्या - 182 वर्ष 2021 से उत्पन्न सत्र विचारण संख्या - 1086 वर्ष 2022 (राज्य बनाम रवि व अन्य), जो धारा 307, 323, 504, 506 भा.द.सं., थाना रसूलपुर, जनपद-फिरोजाबाद के अंतर्गत पंजीकृत है, में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 13.11.2025 को निरस्त करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

3- अभियोजन का वाद संक्षेप में और जैसा कि एफ.आई.आर. में वर्णित है, यह है कि दिनांक 05.05.2021 को अपराहन लगभग 2:30 बजे, विपक्षीगण सूचनादाता के घर आए और सूचनादाता को गाली-गलौज और धमकी देने लगे। जब सूचनादाता और उसका भाई, दिनेश कुमार घर से बाहर आए, तो विपक्षी संख्या 3 ने जान से मारने की नीयत से दिनेश कुमार पर गोली चला दी। गोली दिनेश कुमार को नहीं लगी। विपक्षी संख्या 2 ने दिनेश कुमार को डंडों से मारा और उसके सिर पर गंभीर चोटें पहुँचाईं। सूचनादाता और उसके भाई की चीखें सुनकर कई अन्य व्यक्ति मौके पर आ गए, जिस पर अभियुक्त सूचनादाता के 13 वर्षीय पुत्र किशन सिंह को पीटते हुए, वहाँ से चले गए। सूचनादाता के कहने पर, दिनांक 05.05.2021 को धारा 307, 323, 504, 506 भा.द.सं. के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या - 182 वर्ष 2021 के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तत्पश्चात, आरोप-पत्र दाखिल किया गया और वाद सत्र न्यायालय द्वारा विचारण हेतु सुपुर्द किया गया। परिणामस्वरूप, अभियुक्तों के विरुद्ध सत्र विचारण संख्या - 1086 वर्ष 2022 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त-अपीलार्थी ने आरोपों से इनकार किया और विचारण की मांग किया।

4- अभियोजन ने अपना वाद सिद्ध करने के लिए दिनेश कुमार और किशन सिंह की विभिन्न चिकित्सा रिपोर्टें दाखिल किया। दिनेश कुमार का परीक्षण करने वाले डॉक्टर द्वारा तैयार की गई चोट रिपोर्ट में घायल के सिर के दाहिने हिस्से पर 3 सेमी x 0.8 सेमी का एक विदीर्ण घाव प्रकट हुआ, जिसके चारों ओर दाहिने कान से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर नीलगू निशान था, घाव में ताज़ा रक्तस्राव मौजूद था। किसी बाहरी वस्तु का पता लगाने के लिए एक्स-रे की सलाह दी गई थी। चिकित्सा रिपोर्ट डॉ. मोहम्मद शाहिद द्वारा तैयार की गई थी, जिनको अभियोजन द्वारा पी.डब्ल्यू.-8 के रूप में परीक्षित किया गया था और साक्षी ने राय दी कि चोट संभवतः आग्नेयास्त्र के कारण लगी थी। एक डॉ. अनुराग शुक्ला, जिन्होंने 06.05.2021 को दिनेश कुमार का एक्स-रे किया था, उनको अभियोजन द्वारा पी.डब्ल्यू.-9 के रूप में परीक्षित किया गया। एक्स-रे रिपोर्ट में, डॉक्टर ने कहा था कि पीड़ित के सिर के एक्स-रे में दाहिने 'टेम्पोरल' क्षेत्र पर दाहिनी ओर तीन गोलाकार रेडियो ओपेक छाया दिखाई दे रही थी, जिसका घनत्व धातु के अनुरूप था। एक्स-रे रिपोर्ट में यह भी दिखाया गया कि घायल के सिर में कोई हड्डी की चोट नहीं थी। दिनेश कुमार की प्रारंभिक चोट रिपोर्ट में हड्डी की कोई चोट दर्ज नहीं की गई थी, जिसे पी.डब्ल्यू.-8 द्वारा सिद्ध किया गया था। तत्पश्चात, दिनेश कुमार का कथित तौर पर सिनर्जी हॉस्पिटल, जनपद आगरा में सर्जरी हुआ। अभियोजन का दावा है कि सर्जरी के दौरान कथित रूप से घायल दिनेश कुमार की खोपड़ी से तीन छर्रे बरामद किए गए थे। सर्जरी 14.05.2021 को किया गया था। ऐसा कोई खुलासा नहीं है कि जब छर्रे विवेचना अधिकारी को दिए गए थे, तब उनमें मानव रक्त मौजूद था।

5- पी.डब्ल्यू.-8 द्वारा तैयार की गई चोट रिपोर्ट और पी.डब्ल्यू.-9 की एक्स-रे रिपोर्ट की सत्यता के संबंध में कुछ विवाद था, इसलिए जिलाधिकारी, फिरोजाबाद ने घायल दिनेश कुमार के पुनः परीक्षण के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया। एक डॉ. राहुल जैन ने घायल का परीक्षण किया और एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि उनके द्वारा किए गए पिछले सभी चिकित्सा परीक्षणों, एक्स-रे और सी.टी. स्कैन पर विचार करने के बाद और पीड़ित का व्यक्तिगत रूप से परीक्षण करने के बाद, बोर्ड को विश्वास नहीं हुआ कि चोट आग्नेयास्त्र के कारण लगी होगी। घायल के पुनः परीक्षण की रिपोर्ट को विचारण न्यायालय में प्रदर्श क-9 के रूप में चिह्नित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया गया था। डॉ. राहुल जैन को अभियोजन द्वारा पी.डब्ल्यू.-7 के रूप में परीक्षित किया गया और अपनी गवाही में साक्षी ने कहा कि चोट संख्या 1, अर्थात् वह चोट जिसके बारे में दिनेश कुमार का प्रारंभिक परीक्षण करने वाले डॉक्टर ने कहा था कि यह आग्नेयास्त्र से हो सकती है, वह डंडे या बेंत से हो सकती है। डॉक्टर ने अपने साक्ष्य में कहा कि भले ही घाव एक माह के बाद भर गया हो, लेकिन पीछे छूटे निशान का परीक्षण करके चोट का कारण निर्धारित किया जा सकता है। साक्षी ने स्पष्ट कारणों से डॉ. मोहम्मद शाहिद (पी.डब्ल्यू.-8) द्वारा किए गए घायल दिनेश कुमार के चिकित्सा परीक्षण पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। यह नोट करना प्रासंगिक है कि घायल का चिकित्सा परीक्षण डॉ. राहुल जैन (पी.डब्ल्यू.-7) द्वारा 07.06.2021 को किया गया था। पी.डब्ल्यू.-7 का साक्ष्य पी.डब्ल्यू.-8 और पी.डब्ल्यू.-9 द्वारा तैयार किए गए साक्ष्य, राय और रिपोर्टों का खंडन करता है।

6- जहाँ तक घायल किशन सिंह का संबंध था, उसका परीक्षण भी डॉ. मोहम्मद शाहिद द्वारा किया गया था और उसकी चोट रिपोर्ट में दाहिने कान से 14 सेमी की दूरी पर सिर के ऊपरी हिस्से पर 0.2 x 0.2 सेमी का विदीर्ण घाव, उसके चारों ओर नील दर्ज है, घाव पर ताज़ा रक्तस्राव देखा गया था, जिसे निगरानी में रखा गया था और एक्स-रे की सलाह दी गई थी। अभियोजन द्वारा अपना वाद सिद्ध करने के लिए रिपोर्ट भी दाखिल की गई थी। जहाँ तक किशन सिंह का संबंध है, पी.डब्ल्यू.-8, डॉ. मोहम्मद शाहिद ने भी अपनी राय दी कि चोट आग्नेयास्त्र के कारण लगी प्रतीत होती है। दिलचस्प बात यह है कि किशन सिंह का कोई एक्स-रे नहीं कराया गया प्रतीत होता है और विचारण न्यायालय में साक्ष्य के रूप में कोई एक्स-रे रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया था।

7- विचारण न्यायालय ने इस बात पर विचार करने के बाद कि घायल के सिर में कोई हड्डी की चोट नहीं थी, जिसका अर्थ यह था कि हड्डियाँ टूटने के बाद गोलियाँ शरीर में गहरी नहीं गईं, प्रारंभिक चोट रिपोर्टों को अविश्वसनीय पाया। विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि हड्डी में कोई चोट नहीं थी और छर्छूत घायल के शरीर में गहरे नहीं थे, तो डॉक्टर अर्थात् पी.डब्ल्यू.-8 द्वारा छर्छूत का आसानी से पता लगाया जा सकता था। छर्छूत को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया था और अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जो यह दर्शाता हो कि छर्छूत पर मानव रक्त था। छर्छूत को बैलिस्टिक परीक्षण के लिए नहीं भेजा गया था। अभियोजन द्वारा उपरोक्त परिस्थितियों का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और ये अभियोजन के वाद को झुठलाती हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8- एफ.आई.आर. में अभिकथन यह है कि गोलियां दिनेश कुमार को नहीं लगीं और उससे चूक गईं। एफ.आई.आर. में अभिकथन इस निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि दिनेश कुमार को आग्नेयास्त्र की कोई चोट नहीं लग सकती थी। हालांकि, पी.डब्ल्यू.-1 के रूप में अपने बयान में, सूचनादाता ने कहा कि गोली दीवार से टकराकर वापस आई और उसके भाई दिनेश कुमार तथा उसके पुत्र किशन सिंह के शरीर में घुस गई। विवेचना अधिकारी द्वारा तैयार किए गए नक्शा-नजरी में मौके पर कोई दीवार नहीं दिखाई गई है। स्पष्ट रूप से, वह दीवार जिससे गोलियां टकराकर वापस आईं, सूचनादाता द्वारा विवेचना अधिकारी को नहीं दिखाई गई थी। इसके अलावा, पी.डब्ल्यू.-1 के रूप में अपनी गवाही में, सूचनादाता ने यह भी कहा कि सभी तीनों अभियुक्तों ने सूचनादाता और ऊपर नामित उसके परिवार के सदस्यों पर गोलियां चलाई थीं। द.प्र.सं. की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में, सूचनादाता द्वारा विवेचना अधिकारी को उपरोक्त तथ्य नहीं बताया गया था। उक्त तथ्य एफ.आई.आर. में भी नहीं बताए गए हैं। एफ.आई.आर. का संस्करण यह है कि केवल विपक्षी संख्या 3 ने सूचनादाता के भाई दिनेश कुमार पर गोली चलाई थी। स्पष्ट रूप से, पी.डब्ल्यू.-1 का साक्ष्य कि सभी तीनों अभियुक्तों ने उस पर और उसके भाई के साथ-साथ उसके पुत्र पर गोली चलाई थी, एक सुधार है और एफ.आई.आर. के संस्करण का खंडन भी करता है। यह नोट करना भी प्रासंगिक है कि विवेचना अधिकारी द्वारा अभियुक्तों से कोई हथियार बरामद नहीं किया गया है।

9- पी.डब्ल्यू.-1 के रूप में अपने साक्ष्य में, सूचनादाता ने यह भी कहा कि जब अभियुक्त आए, तो वह अपने भतीजे किशन सिंह के साथ गेट पर बैठा था। उपरोक्त बयान एफ.आई.आर. के संस्करण से भिन्न है, जिसमें कहा गया था कि जब अभियुक्त आए और उन्हें गाली-गलौज और धमकी देने लगे, तब सूचनादाता और उसके परिवार के सदस्य घर के अंदर थे, जिस पर सूचनादाता और घायल बाहर आए, जिसके बाद अभियुक्तों ने सूचनादाता और घायलों पर हमला किया।

10- हमने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन द्वारा किसी भी स्वतंत्र साक्षी का परीक्षण नहीं किया गया था, भले ही अभियोजन का दावा यह है कि उस स्थान पर कई लोग आ गए थे, जहाँ अभियुक्तों ने कथित तौर पर सूचनादाता और उसके भाई तथा पुत्र पर हमला किया था।

11- अभियोजन द्वारा दावा किए गए चोटें सिद्ध नहीं होने और अभियोजन साक्ष्यों की गवाहियों में प्रमुख विरोधाभास होने पर विचार करने के बाद, विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभियोजन अपना वाद उचित संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा और परिणामस्वरूप अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया।

12- हमें विचारण न्यायालय के तर्क में कोई अवैधता या विकृति नहीं मिली है। विचारण न्यायालय का निर्णय अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सभी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद पारित किया गया है।

13- हमें विचारण न्यायालय के निर्णय के स्थान पर अपनी राय प्रतिस्थापित करने पर विचार करने के लिए अपील को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं मिला है, जिसे साक्षीगण के हाव-भाव को देखने का अवसर भी मिला था।

14- उपरोक्त के दृष्टिगत, अभियुक्तों को नोटिस जारी किए बिना अपील को संक्षिप्त रूप से **खारिज** किया जाता है।

15- इस न्यायालय के निर्णय को विचारण न्यायालय को प्रमाणित करने के बाद पत्रावली को अभिलेखागार में संचित किया जाए।

(न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत) (न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय)

21 जनवरी, 2026

ए.डी.वाई.